स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 165, दिनांक 30—05—2025

मु0अ0सं0—43/2025 थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में वांछित व 50,000/— रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन गिरफ्तार।

दिनांक 30—05—2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0—43/2025 धारा—191(2)/191(3)/190/352/351(3)/109/110 बी0एन0एस0 में वांछित एवं 50,000/—रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन पुत्र जौहर अली, नि0—हैंसी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः—

पयागीपुर चौराहा, जनपद सुल्तानपुर, दिनांकः 30—05—2025, समय 10:45 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उपनिरीक्षक श्री अतुल चतुर्वेदी, एसटीएफ मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 30.05.2025 को उपनिरीक्षक श्री अतुल चतुर्वेदी, मुख्य आरक्षीगण नीरज कुमार पाण्डेय, सुशील सिंह, रामनिवास शुक्ल, राजीव कुमार व आरक्षी अमित त्रिपाठी, अमर श्रीवास्तव की टीम जनपद प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र रानीगंज में वांछित व पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की तलाश/अभिसूचना संकलन हेतु भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0—43/2025 धारा—191(2)/191(3)/190/352/351(3)/109/110 बी0एन0एस0 में वांछित एवं 50,000/—रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन पुत्र जौहर अली, पयागीपुर चौरहा, जनपद सुल्तानपुर के पास मौजूद है तथा कहीं बाहर भागने की फिराक में है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर विश्वास कर, मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुॅचकर, मुखबिर की निषादेही पर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन पुत्र जौहर अली उपरोक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह फरवरी माह में अपने मामा के घर कलीपुर मैनहा थाना रानीगंज गया था। इसके मामा का किसी से विवाद चल रहा था, दोनों पक्षों में कई बार पहले भी मार—पीट हुयी थी, लेकिन उस समय गोली चल गयी जिसमें उस पक्ष के कई लोग घायल हो गये, उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ में अभियोग पंजीकृत हुआ था। स्थानीय पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए पूर्व में घटना में सम्मलित कुछ अपराधियों को जेल भेज दिया गया था, इस घटना में संलिप्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन पुत्र जौहर अली की गिरफ्तारी हेतु रू0 50

हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से इधर–उधर लुक–छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन पुत्र जौहर अली उपरोक्त को थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–43/2025 धारा–191(2)/191(3)/190/352/351(3)/109/110 बी0एन0एस0 में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

<u>आपराधिक इतिहास–</u>

- मु0अ0सं0 341/2021 धारा 386/323/342/504/506 भादवि थाना– मान्धाता प्रतापगढ़।
- मु0अ0सं0 167/2023 धारा 323/341/427/504/506 भादवि थाना– मान्धाता प्रतापगढ़।
- मु0अ0सं0 81/2024 धारा 307/339/402/411/420/465 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना– देल्हूपुर प्रतापगढ़।
- मु0अ0सं0 69/2024 धारा 341/392/411 भादवि थाना– देल्हूपुर प्रतापगढ़।
- मु0अ0सं0–43/2025 धारा–191(2)/191(3)/190/352/351(3)/109/110 बी0एन0एस0 थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।